



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273705
CG-DL-E-22062026-273705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3137]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 2026/ज्येष्ठ 30, 1948

No. 3137]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 2026/JYAISTHA 30, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2026

का.आ. 3262(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में संशोधनों से संबंधित है उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 49 के सम्मुख विनिर्दिष्ट है, लागू होंगे।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2026

S.O. 3262(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 30th day of June, 2026, as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to amendments in the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), as specified against serial number 49 of the Schedule to the said Act, shall come into force.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)